

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal II Miscellaneous Bail Application No. 4194/2026

Deepak Kumar Meena S/o Dungarsingh Meena, R/o Village Toda,
Jaisinghpura, P.s. Tahla District Alwar (Raj.) (At Present Confined
In Central Jail Alwar)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Mohar Pal Meena
For Respondent(s)	: Mr. A.K. Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

19/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय प्रार्थना-पत्र पुलिस थाना-टहला, जिला-अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 5/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 310(2) बी.एन.एस. में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत का प्रार्थना-पत्र दिनांक 23.2.2026 को निरस्त किया गया था।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.2.2026 को निरस्त होने के बाद प्रकरण में अब अन्वेषण होकर प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध तितम्बा आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 15.1.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण के अन्य सहअभियुक्तगण दिनेश कुमार व राजेन्द्र कुमार को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है तथा प्रार्थी-अभियुक्त का मामला उनसे भिन्न नहीं है। प्रार्थी-अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है किप्रार्थी-अभियुक्त पूर्व में फरार चल रहा था तथा उसके विरुद्ध धारा 37 पुलिस एक्ट का वारंट भी जारी हुआ था, जिसकी पालना में प्रार्थी-अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। मामला 4.5 लाख रुपये की लूट से सम्बन्धित है। गंभीर अपराध है। अतः यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पूर्व में प्रार्थी-अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.2.2026 को निरस्त किए जाने तक प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ था। अब प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध तितम्बा आरोप पत्र अपराध अन्तर्गत 310(2) बी.एन.एस. में प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी-अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 15.1.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। प्रकरण के अन्य सहअभियुक्तगण दिनेश कुमार व राजेन्द्र कुमार को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र एवं पचास-पचास हजार रुपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J